न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—81 / 2013 / 225 (2013 / 00136)

1. मूला पंत्र बन्नाराम,
2. रंगलाल पुत्र बन्नाराम,
3. हरजीराम पुत्र बन्नाराम,
   समस्त जाति जाट, नि0 करकेड़ी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. प्रतिमा श्रीनाथ जी मंदिर मण्डल, नाथद्वारा की ओर से मुख्य निष्पादन अधिकारी मंदिर मण्डल नाथद्वारा, जिला राजसमंद जरिये सर्वाधिकारी श्री महेशचन्द्र पिता मदनलाल व्यास, निवासी नाथद्वारा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 30.11.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 137 / 2007.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री तेजेन्द्रसिंह एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 6.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 30. 11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व आधिपत्य बाबत् पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 151 जा0दी0 आदेश 39 (1)(2) एवं 40 नियम 1 जा0दी0 बाबत् अस्थायी व्यादेश एवं प्रापक नियुक्ति बाबत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम करकेडी, तह0 किशनगढ़ की कृषि भूमि खसरा नंबर 689 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 690 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित है । प्रार्थी मूर्ति के कानूनन शाश्वत अव्यसक होने से मूति की सम्पदा पर विपक्षीगण अथवा अन्य किसी को भी प्रतिकूल आधिपत्य, टिनेन्सी बाई होल्डिंग ओवर अथवा चिर—भोगाधिकार के आधार पर कोई भी अधिकार या परिलाभ नहीं मिल सकते है । ऐसी देव भूमि पर कृषक को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होते है । ठाकुरजी के सदैव अव्यस्क होने से उनकी भूमि में किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है और भूमि हमेशा ठाकुरजी के स्वामित्व, आधिपत्य व खुदकाश्त की मानी जाती है । राजस्व अभिलेख संवत् 2020

तक आवेदक के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी में होकर डोली (माफी) के रूप में अभिलिखित थी जब सन् 1959 में सरकार द्वारा राजस्थान में माफी पुनर्ग्रहित की गई तब भी उक्त भूमि आवेदक के खाते में दर्ज थी। अतः माफी के प्रनर्ग्रहण के उपरांत भी उक्त भूमि की खातेदार कृषक प्रतिमा ही है । इसके बावजूद तत्कालीन भू–प्रबंध/राजस्व अधिकारियों ने खातेदार प्रतिमा को बिना सूचना दिये व बिना सुने तथा बिना क्षैत्राधिकार के विवादित भूमि को मूर्ति के खाते से हटाकर प्रार्थी के काश्तकारों के खाते में दर्ज कर दी जो सर्वथा अवैधानिक व शून्य प्रभावी हाकर निरस्त होने योग्य है । इस गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थीगण देव भूमि को खुर्द–बुर्द करना, भूमि पर से खड़े वृक्षों आदि को हटाना, क्षति पहुंचाना या दूसरों को हस्तातंरित कर नाजायज लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी पर जबरन प्रवेश कर उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाये, वृक्षों को नहीं काटे व भूमि का हस्तातंरण नहीं करे । साथ ही भूमि की सुरक्षा के लिये व फसल आदि की व्यवस्था के लिये उपयुक्त प्रापक नियुक्त किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2012 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर विवादित भूमि पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 आदेश 39 नियम 1, 2 व 40 नियम 1 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सभी राजस्व9 रिकार्ड को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को इस तरह निर्णित किया है जैसे मूल वाद का ही निर्णय कर रहे हो । प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली बाबत् है । अप्रार्थीगण को बेदखल किया जा सकता है या नहीं यह तो वाद में जवाब, तनकी, साक्ष्य के उपरांत ही निर्णित किया जा सकता है लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहसीलदार को कब्जा प्रदान कर सुरक्षा हेतु आदेश प्रदान किये है । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने बिना वाद डिक्री किये ही अप्रार्थीगण/अपीलांटस को उक्त निर्णय के माध्यम से विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2019 में उपभोक्ता के कॉलम में सूण्डा पुत्र बलदेव का नाम दर्ज है तथा संवत् 2020 में भी यही स्थिति है और माफी रिज्यूमसन के तहत मंदिर की खातेदारी समाप्त कर सूण्डा वल्द बलदेव को प्रचलित कानून के तहत खातेदार दर्ज किया गया तथा इसके बाद संवत् 2022 से 2025 में खरीद के आधार पर सूण्डा के बजाय बन्नाराम के नाम का अंकन किया गया है । इस प्रकार यदि मंदिर के हक व अधिकार थे तो सूण्डा के नाम पर जब इंद्राज किया गया तब ही पीड़ित हो सकते थे लेकिन सूण्डा से खरीद कर खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थी व्यथित नहीं हो सकते है। अपीलांटस विवादित आराजी पर पिछले 45 वर्षो से काबिज काश्त

चले आ रहे है किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रोपटी इन मीडियों या अशांति भंग होने की आशंका नहीं होने के बावजूद विवादित आराजी पर रिसिवर नियुक्त करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध है । यह भी कथन किया कि धूला का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था । विवादित भूमि कभी भी मंदिर के नाम दर्ज नहीं रही है । माफी रिज्यूम के बाद मंदिर के विवादित भूमि से अधिकार समाप्त हो गये थे । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीालधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । ग्राम करकेडी, तह0 किशनगढ़ की कृषि भूमि खसरा नंबर 689 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 690 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी मूर्ति के कानूनन शाश्वत अव्यसक होने से मूति की सम्पदा पर विपक्षीगण अथवा अन्य किसी को भी प्रतिकूल आधिपत्य, टिनेन्सी बाई होल्डिंग ओवर अथवा चिर–भोगाधिकार के आधार पर कोई भी अधिकार या परिलाभ नहीं मिल सकते है । ऐसी देव भूमि पर कृषक को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होते है । ठाकुरजी के सदैव अव्यस्क होने से उनकी भूमि में किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है और भूमि हमेशा ठाकुरजी के स्वामित्व, आधिपत्य व खुदकाश्त की मानी जाती है । राजस्व अभिलेख संवत् 2020 तक आवेदक के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी में होकर डोली (माफी) के रूप में अभिलिखित थी जब सन् 1959 में सरकार द्वारा राजस्थान में माफी पुनर्ग्रहित की गई तब भी उक्त भूमि आवेदक के खाते में दर्ज थी। अतः माफी के प्रनर्ग्रहण के उपरांत भी उक्त भूमि की खातेदार कृषक प्रतिमा ही है । इसके बावजूद तत्कालीन भू–प्रबंध/राजस्व अधिकारियों ने खातेदार प्रतिमा को बिना सूचना दिये व बिना सुने तथा बिना क्षैत्राधिकार के विवादित भूमि को मूर्ति के खाते से हटाकर प्रार्थी के काश्तकारों के खाते में दर्ज कर दी जो सर्वथा अवैधानिक व शून्य प्रभावी हाकर निरस्त होने योग्य है । इस गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थीगण देव भूमि को खुर्द–बुर्द करना, भूमि पर से खड़े वृक्षों आदि को हटाना, क्षति पहुंचाना या दूसरों को हस्तातंरित कर नाजायज लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था । उक्त परिस्थितियों में विवादित भूमि के खुर्द–बुर्द होने की संभावना तथा शांति भंग होने की संभावनाओं को मध्यनजर रखते हुए विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 के कॉलम संख्या 3 में विवादित भूमि मंदिर श्रीनाथद्वारा के नाम दर्ज है तथा कृषक के कॉलम में सुण्डा वलद बलदेव कौम जाट दर्ज है । इसके बाद की जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में विवादित भूमि सुण्डा पुत्र बलदेव का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा सुण्डा पुत्र बलदेव को काश्त हेतु संभलाई गई थी । विवादित भूमियां सवंत् 2041 की जमाबंदी में अप्रार्थीगण/अपीलांटस के नाम आई है । पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे

यह सिद्ध हो कि विवादित भूमि जागीर अधिग्रहण के समय अधिग्रहित की गई हो । अपीलांटस का यह कथन कि भूमि सुधार एवं भूमि पुर्नग्रहण अधि0 1952 के प्रावधानों के तहत मंदिर मूर्ति की भूमि रिज्यूम हुई है किन्तु इस संबंध में अपीलांटस द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का कथन रहा है कि अप्रार्थीगण/अपीलांटस विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा विवादित भूमि को खुर्दबुर्द कर रहे है तथा खड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे है । विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की है जिसके हितों की रक्षा किया जाना आवश्यक है । वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि का अन्यंत्र बेचान होने तथा भूमि के खुर्दबुर्द होने की संभावना प्रकट होने से ही विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसिवर नियुक्त किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का यह आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।।

7. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 6.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर